

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

ज्ञाप सं0-6 / खा0 म0 रोहतास-08 / 14

(6) / रा0, पटना-15, दिनांक—.....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा :—वित्त विभाग।

**विषय :—** मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक—17.05.2016 के मद संख्या—01 में दी गई स्वीकृति के आलोक में रोहतास जिलान्तर्गत दिनारा अंचल के मौजा—भलुनी, थाना नं0—68, खाता सं0—295 खेसरा सं0—2036, 2039 एवं 2037 रकवा— क्रमशः 16.51 एकड़, 13.13 एकड़ एवं 0.56 एकड़ कुल रकवा—30.20 एकड़ अनावाद सर्वसाधारण किस्म जंगल/करहा भूमि वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा—36 (सी०) एवं 36 (डी०) के अन्तर्गत संरक्षण आरक्ष (**conservation reserve**) घोषित करने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विमाणीय स्थायी हस्तान्तरण की रवीकृति।

**आदेश : स्वीकृत।**

2. स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्त खास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत मान्य होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-  
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—6 / खा0 म0 रोहतास—08 / 14

(6) / रा0, पटना—15, दिनांक—.....

निवंधित  
डाक से

प्रतिलिपि:—समाहर्ता, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख संख्या—01 / 2013—14 संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

ह0/-  
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—6 / खा० म० रोहतास—08 / 14

(6) / रा०, पटना—15, दिनांक—.....

प्रतिलिपि:—आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को उनके कार्यालय पत्रांक—1801 / रा० दिनांक—17.12.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /—

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—6 / खा० म० रोहतास—08 / 14

(6) / रा०, पटना—15, दिनांक—.....

प्रतिलिपि:—प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /—

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—6 / खा० म० रोहतास—08 / 14

(6) / रा०, पटना—15, दिनांक—.....

प्रतिलिपि:—प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /—

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—6 / खा० म० रोहतास—08 / 14

(6) / रा०, पटना—15, दिनांक—.....

प्रतिलिपि:—वित्त विभाग, प्रशाखा—8, बिहार, पटना / राजस्व विभागीय प्रशाखा—6 / गार्ड फाईल, प्रशाखा—6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /—

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—6 / खा० म० रोहतास—08 / 14

592

(6) / रा०, पटना—15, दिनांक—6-6-16

प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेब—साइट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के संयुक्त सचिव।